

Form no III

फर्ट अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा
गोपाललाल पिता हीरालाल बनाम शम्भुलाल पुत्र लक्ष्मण किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र मु.न.
03 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम
09.04.2024	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरिथत। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दरतावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रवीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुए उनकी उपरिथति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की रिथति में तथा किसी न्यायालय का रथगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा कोटडीकलां तहसील निम्बाहेडा खाता सख्या 86 की आराजी नम्बर 56 रकवा 2.1400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 887 रकवा 0.4200 हैक्टेयर कुल किता-2 कुल रकवा 2.5600 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्थरगढी हुकमनामा/आदेश सरे इजलास सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटरराईज्ड करा शा.फा. किया गया जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

